



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1

PART III—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5]

No. 5]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 16, 2002/आश्विन 24, 1924

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 16, 2002/ASVINA 24, 1924

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2002

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2002

सं. 2002/ई आर/3400/16.—रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) के खंड 3 के उपखंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन (अ.अ.मा.सं.), रेल मंत्रालय के "संबद्ध कार्यालय", को एतद्वारा 1-1-2003 से क्षेत्रीय रेलवे के रूप में घोषित करती है जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा।

टिप्पणी : अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन, रेल मंत्रालय के तकनीकी सलाहकार के रूप में अपनी ड्यूटियों का निर्वहन करता रहेगा।

No. 2002/ER/3400/16.—In exercise of powers conferred by Sub-section (3) of Section 3 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby declares the Research Designs and Standards Organisation (RDSO), Lucknow, an "Attached Office" of Ministry of Railways, to be a Zonal Railway with its headquarters at Lucknow with effect from 1-1-2003.

Note : The Research Designs and Standards Organisation will continue to discharge its duties of Technical Adviser to the Ministry of Railways.

आर. आर. जारुहार, सचिव, रेलवे बोर्ड

R. R. JARUHAR, Secy., Rly. Board